लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA/Proj/104/19/460 दिनांक: 03/08/2019

प्रेषक,

बालामुरूगन डी०, भा०प्र०से०,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह- मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत शौचालय आच्छादन से छुटे हुए एवं बेसलाईन सर्वे में छुटे हुए लाभार्थियों (LOB) के नाम IMIS में प्रविष्टि किये जाने के संबंध में।**

प्रसंग: उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक S-11019/3/2015-SBM दिनांक 30.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत सभी जिलों द्वारा बेसलाईन सर्वे के आधार पर IMIS में शौचालय आच्छादन का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। यद्यपि NARSS सर्वे प्रतिवेदन, जीविका के सीआरपी द्वारा किये गये सर्वे एवं SPMU टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण में यह पाया गया है कि कुछ टोला/बसावट या ग्राम में अभी भी शौचालय आच्छादन में GAP (अन्तर) है, विशेषकर महादलित टोला एवं निर्धनतम परिवार को अभी भी शौचालय से आच्छादन नहीं किया गया है। कुछ टोला/बसावटों/ग्रामों में शौचालय आच्छादन में GAP (अन्तर) मुख्यत: दो प्रकार के है-

(क) वैसे घर जो शौचालय से आच्छादित है परन्तु बेसलाईन सर्वे में नाम दर्ज नहीं है।

(ख) वैसे घर जो न तो शौचालय से आच्छादित है न ही इनका नाम बेसलाईन सर्वे में दर्ज है।

उक्त दोनों प्रकार के घरों को बेसलाईन सर्वे से छुटे हुए लाभार्थियों (LOB) की सूची में IMIS पर नाम दर्ज करने हेतु कार्यालय के पत्रांक 137/ 07.06.2019 पर निदेशित किया गया था।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा विभाग के अनुरोध पर LOB में नाम दर्ज करने की अंतिम तिथी 15.08.2019 तक अंतिम रूप से विस्तारित की गयी है।

सरकार के सम्पूर्ण स्वच्छता आच्छादन के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि वैसे सभी घरों को LOB की सूची में नाम जोड़ा जाए जिन्हें शौचालय से आच्छादित नहीं किया गया है। इस संबध में आवेदन (LOB के सूची में नाम हेतु) प्राप्त करने हेतु मोबाईल एप भी तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीण अपना आवदेन मोबाईल एप के माध्यम से भी संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में जमा कर सकेंगे। मोबाईल एप लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बेवसाईट https://lsba.bih.nic.in पर निर्धारित लिंक "शौचालय आच्छादन से छूटे हुए घरों/बेसलाईन से छुटे हुए लाभार्थी" पर उपलब्ध है, एवं इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मोबाईल एप से प्राप्त आवेदनों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जाँच कर नियमानुसार LOB की सूची में दर्ज किया जायेगा।

अत: उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि वैसे सभी शौचालय आच्छादन से छुटे हुए घरों का नाम LOB की सूची में दिनांक 15.08.2019 तक जोड़ने हेतु सभी संबंधित को निदेशित करने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

13/08/19

(बालामूरूगन डी०)

प्रतिलिपि : सभी निदेशक -सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

13/08/19

(बालामूरूगन डी०)